निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 11/2025

दोलतीबाई पुत्री सूरजमल पत्नी चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी—

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :—

1. श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी)
2. पेरोकार सरकार

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने इस न्यायालय में हस्तगत वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :—

- यह कि वादीनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी मालग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स० नई 233 के खसरा न0 244 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 679 की 0.38 हेक्टर, खसरा न0680 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 683/1 की 0.61 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 2.73 हेक्टर आराजी स्थित है, उक्त आराजी मे वादीनी का 1⁄3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज व निहित है।

- यह कि वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजीयात में निहित वादीनी के हिस्से की आराजी को वादीनी मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। जिसे वादीनी ने ही इस वर्ष भी शांति पूर्वक काश्त करके फसल का उपयोग उपभोग किया है।

- यह कि वादीनी ने अपने खाते व कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की उक्त वर्णित हिस्सा आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु अपने खाते की नकल जमाबन्दी प्राप्त की, तथा बैंक में जाकर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु निवेदन किया, तो बैंक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त आराजी मे वादीनी का नाम दोली बाई पुत्री सूरजमल दर्ज होने व आधार कार्ड आदि मे वादीनी का वास्तविक नाम दोलती बाई दर्ज होने से बैंक द्वारा नाम में भिन्नता होने से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने से मना कर दिया, तथा नाम में दुरस्ती करवाने के बाद ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

कहा। जिसके बाद वादीनी द्वारा पटवारी हल्का महोदय से उक्त नाम मे भिन्नता होने से नाम को आधार कार्ड अनुसार सही नाम दुरस्ती करने की कहने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही नाम मे दुरस्ती करने की कहने से वादीनी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यकहुआ है, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

- यह कि वादीनी का वास्तविक नाम दोलती बाई है, जिसकी पुष्टि वादीनी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो से होती है, वादीनी का उक्त त्रुटिपूर्ण नाम होने से वादीनी को सरकार से मिलने वाली अनुदान ध सहायता राशि से भी वंचित होना पड रहा है, तथा भविष्य मे वाद कारिता बढने की भी संभावना है, ऐसी स्थिति में उक्त गलत नाम को दुरस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीनी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने से अन्य सहखातेदारान का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है, सहखातेदारान के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है।

- यह कि वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादीनी द्वारा बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड जारीकरने की कहने पर उनके द्वारा नाम मे भिन्नता होने से नाम दुरस्ती करवाने बाद ही किसान क्रेडिट जारी करने की कहने व बाद में पटवारी हल्का से नाम दुरस्ती की कहने पर उनके द्वारा भी माननीय न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही दुरस्ती करने की कहने से वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है।

- यह कि वादग्रस्त आराजी माल ग्राम हरिपुरा पटवारहल्का दीगोव तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

- अतः माल ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स० नई 233 के खसरा न0 244 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 679 की 0.38 हेक्टर, खसरा न0680 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 683/1 की 0.61 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 2.73 हेक्टर आराजी में दर्ज वादीनी के गलत नाम दोलीबाई के स्थान पर दोलती बाई दर्ज करने की घोषणा की जाकर घोषणा की डिकी पारित फरमायी जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में दोलीबाई के स्थान पर दोलती बाई दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती की जावे, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी वादीनी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध पारित फरमायी जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी तहसीलदार सांगोद की ओर से इस आशय का जवाब मय रिपोर्ट पटवारी हल्का दीगोद के पेश हुआ कि खातेदार मोहनलाल, हीरालाल व दोलीबाई का नकल में नाम विरासत का इंतकाल(पिता सूरजमल की मृत्यु के पश्चात्) खुलने से आया व दोलीबाई जो बोलता नाम था जो दर्ज रिकार्ड हुआ। प्रार्थीया का बोलता नाम दोलीबाई था परन्तु अन्य सभी सरकारी दस्तावेज, आधारकार्ड, वोटर आईडी, बैंक डायरी व जनाधार व अन्य दस्तावेजों में नाम दोलतीबाई दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

मुताबिक ग्रामवासियों की जानकारी के दोलीबाई व दोलतीबाई पुत्री सूरजमल एवं ही व्यक्ति का नाम है तथा दालीबाई व दोलतीबाई एक ही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में बोलता नामा दोलीबाई है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात एवं जवाब सरकार का अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीनी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादीनी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स० नई 233 के खसरा न0 244 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 679 की 0.38 हेक्टर, खसरा न0680 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 683/1 की 0.61 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 2.73 हेक्टर आराजी में दर्ज वादीनी के नाम 'दोलीबाई' के स्थान पर 'दोलती बाई' दर्ज करने किया जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 27/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 11 / 2025

दोलतीबाई पुत्री सूरजमल पत्नी चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी–

–बनाम–

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादीनी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स० नई 233 के खसरा न0 244 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 679 की 0.38 हेक्टर, खसरा न0680 की 0.87 हेक्टर, खसरा न0 683/1 की 0.61 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 2.73 हेक्टर आराजी में दर्ज वादीनी के नाम 'दोलीबाई' के स्थान पर 'दोलती बाई' दर्ज करने किया जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 25\3\26 को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।